

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

अजमेर

श्री मानी व अन्य

बनाम मगनी व अन्य

किस्म मुकदमा 88,188,53

132/2010.....सन

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.10.2017	<p>पत्रावली पेश हुई। वकिल उभय पक्ष उपस्थित। वादी/वकिल वादी के द्वारा आदेशिका दिनांक 31.7.2017, में प्रतिवादी संख्या 1 से 9, 12 से 15 व 18 से 20 की तलबी हेतु नोटिस तलबाना प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर दिए जाने पर पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इस हेतु कई अवसर प्रदान करने के बावजूद वादी/वकिल वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 9, 12 से 15 व 18 से 20 की तलबी हेतु किसी प्रकार की रूची नहीं दिखाई गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया न्यायालय आदेश दिनांक 31.7.2017 से अवसर दिए जाने के उपरान्त भी पालना नहीं की गई है। जिससे वादी एवं उनके अधिवक्ता की उक्त वाद को चलाए जाने में ना तो किसी प्रकार की कोई रूचि प्रकट होना प्रतीत होती है। इस प्रकार कानूनी प्रावधानों के तहत उभय पक्षकार अपने हक अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। अतः वादी का वाद पत्र न्यायालय आदेशों की अदम पालना में निरस्त कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी अजमेर</p>	